राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रभुदयाल बनाम नाथू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/12/2020		
15/12/2025	~~पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक अपीलार्थी ने अपनी~~ लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 29/12/2025 को पेश हो।	
29/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरार हक़, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम बरसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजीयात खसरा नंबरान 190/542 रकबा 0.1200 है., खसरा नंबर 191/400 रकबा 0.1200 है., खसरा नंबर 193/537 रकबा 0.200 है., 196 रकबा 0.0100 है., 197/2 रकबा 2.1200 है., 198/2 रकबा 0.4200 है., 199/2 रकबा 0.2100 है., 200/2 रकबा 0.400 है., 201 रकबा 0.0900 है., 202 रकबा 0.3500 है., 203/1 रकबा 0.4500 है., 214 रकबा 0.3400 है., कुल किता 12 कुल रकबा 4.7600 है. भूमि वादीगण के पडादादा गणेश की बनाई हुई जमीन है, जो वादीगण की पैतृक है। वाद पत्र में आगे सजरा खानदान अंकित करते हुये कथन किया गया कि सजरा खानदान में वर्णित गणेश की मृत्यु के वाद गणेश की कृषि भूमि मन्ना, बिजा व काना के नाम खातेदारी लगी, जिनका बराबर का हिस्सा था। मन्ना के केवल एक पुत्र लालचंद और काना के एक पुत्र छीतर है। बिजा के कोई संतान नहीं है। काना की मृत्यु के बाद काना के हिस्से की जमीन छीतर के नाम दर्ज हो गई, जो प्रतिवादी नाथू का पिता है। काना के एकमात्र पुत्र छीतर होने से वह अपने पुत्र को गोद नहीं दें सकता, न गोद दिया गया और न ही गोदनामा रजिस्टर्ड है, लेकिन मृतक काना ने होशियार होने से अपने पिता की जमीन भी अपने खातेदारी में दर्ज करवा ली एवं मृतक बिजा की भूमि भी अपने नाम दर्ज करवा ली। इस प्रकार छीतर दो बाप का बेटा बनकर खातेदारी जमाबंदी में अंकन कराया जो कानूनन अवैध व गैरकानूनी है। उसका बीजा की जमीन पर कोई कब्जा नही रहा, बीजा वादीगण के पिता लालचंद के साथ रहता था और उन्होंने उसकी सेवा की। उसके हिस्से की भूमि वादीगण के कब्जे में आज भी चली आ रही है और काश्त कर रहे हैं। नामांतरकरण संख्या 20 दिनांक 20.12.1991 को अमीन हल्का ने ईल्म होते हुए भी कि छीतर काना का पुत्र है फिर भी नामांतरकरण जिल्द में सजरा बनाकर छीतर से साजकर मृतक बिजा का वारिस बनाते हुए दाखा बेवा व छीतरमल लिख दिया व प्रमाण पत्र मृत्यु के अनुसार ए.एस.ओ. जी को दरख्वास्त देकर दिनांक 19.12.1991 को आदेश प्राप्त कर नामांतरकरण दिनांक 20.12.1991 को नामांतरकरण भर दिया और दिनांक 20.12.1991 को ही तस्दीक करवा लिया। इतनी जल्दी जमीन हडपने	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
प्रभुदयाल बनाम नाथू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/1/2020		

की नियत से यह कार्यवाही की गई और दिनांक 04.04.2007 में पटवारी हल्का ने मृतक दाखा बेवा बिजा का नामांतरकरण संख्या 64 भर दिया और पंचायत से स्वीकार करा लिया इस प्रकार छीतर द्वारा मृतक बिजा की जमीन हडपने के लिए उपरोक्त दोनों नामांतकरण गैरकानूनी और अवैध है। वादीगण वादग्रस्त भूमि में से बिजा की हिस्से की आधी भूमि पर काबिज है, जिसका तकासमा कराने एवं गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराकर स्वयं के नाम खातेदारी अंकन कराने के अधिकारी है एवं वादीगण को कानूनी अधिकार है कि वो प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवावे कि वह संपत्ति का हस्तांतरण किसी के अन्य के हक में जरिये बख्शीश बेचान न करें, वादीगण के कब्जे में मजाहमत न करे | वाद पत्र के अन्त में अनुतोष चाहा गया कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी नाथू के खिलाफ डिक्री फरमाया जावे एवं इस्तकरारहक इस अमर का फरमाया जावे कि वादीगण मृतक बिजा के एकमात्र वारिस है और उसके हिस्से की भूमि वादीगण के हिस्से में और कब्जे में होने से तकासमा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जावे एवं राजस्व रिकार्ड का इन्द्राज दुरुस्त किया जावें एवं वादग्रस्त भूमि का 1/2, 1/2 हिस्सा अलग कब्जे के अनुसार तकासमा किया जाकर रिकार्ड दर्ज कराने का आदेश तहसीलदार आमेर को फरमाया जावे एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादीसंख्या 1 की उपस्थिति दर्ज की जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात भी जवाब दावा पेश नही किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब का अवसर बन्द कर दिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने नो प्लीडिंग इन्स्ट्रक्शन बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस समायत करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 06/03/2020 पारित करते हुए वादीगण द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में दावा प्रस्तुत किया जाना अंकित कर वादीगण का वाद बाबत इस्तकरार हक़, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा साबित न होने के आधार पर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निर्णय व डिक्री दिनांक 06/03/2020 के विरुद्ध यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी सुनी गयी |

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रभुदयाल बनाम नाथू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/1/2020		

अपीलार्थी की लिखित बहस एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ के अनुसरण में तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तृत परिक्षण/विवेचन किये बगैर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वाद को ख़ारिज कर दिया गया है, जो न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत का तनकीवार परिक्षण/विवेचन कर विधिसम्मत निर्णय पारित करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित किया जाना स्पष्ट होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06/03/2020 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रश्नाधीन इस्तकरार हक़, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद का तनकीवार साक्ष्य सबूत का परिक्षण/विवेचन करते बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।